मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी को मतगणना के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण, तीनों जिलों के अधिकारी हुए सम्मलित

- मतगणना के कार्य को शत-प्रतिशत सही ढंग से करें संपन्न-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल
- मतगणना कार्य हेतु नियमों एवं प्रक्रियाओं का रखें ध्यान-एनएलएमटी भट्टाचार्य एवं वर्मा

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल की अध्यक्षता में आज नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य एवं श्रीकांत वर्मा द्वारा कलेक्टोरेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन-2024 रायगढ़ संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02 अंतर्गत तीनों जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एआरओ, नायब तहसीलदार, विकासखण्ड स्तरीय मास्टर ट्रेनर एवं मतगणना कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि मतगणना का कार्य आसान है, सभी प्रक्रियाओं का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य शत-प्रतिशत सही हो यह महत्वपूर्ण है, सभी प्रक्रिया त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान उन्होंने मतगणना कक्ष में होने वाले दिक्कतों से अवगत करवाते हुए उनके समाधान की जानकारी दी। उन्होंने तीनों जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईवीएम पूर्णत: सुरक्षित है। इसके साथ मतगणना कक्ष के लिए आसपास बेरिकेटिंग के साथ सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किया जाए ताकि मतगणना के कार्य में असुविधा न हो। उन्होंने तीनों जिलों में मतगणना दिवस पर आपस में कम्युनिकेशन बनाए रखने हेतु निर्देशित किया।

प्रशिक्षण में नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर पुलक भट्टाचार्य एवं श्रीकांत वर्मा ने वैधानिक प्रावधान एवं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए मतगणना संबंधी प्रमुख कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारियों को मतगणना कार्य की विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस की गणना शुरू की जाएगी। इसके बाद ईव्हीएम मशीन से मतों की गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईव्हीएम मशीन से मतों की गणना के समय मशीन को सही तरीके से प्रदर्शित करना है और उसकी जानकारी सही उच्चारण कर जाली के बाहर बैठे अभिकर्ता एवं एजेंट को बताना है। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया सहित पूरी तरह से मतगणना कक्ष, मतगणना परिसर, स्ट्रांग रूम में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधि सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रहेगा। मतगणना स्थल पर मोबाईल एवं इलेक्ट्रानिक गैजेट का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर भट्टाचार्य एवं वर्मा ने ईटीपीबीएस, डाकमत पत्र, ईव्हीएम एवं वीवीपैट की मतगणना के संबंध में आवश्यक नियमों एवं निर्देशों के बारे में बारीकी से जानकारी दी। उन्होंने मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आवश्यक नियमों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ईटीपीबीएस, डाकमत पत्रों एवं ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। डाक मतपत्रों की गणना, ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना, मतगणना पूर्ण होने के पश्चात ईव्हीएम और निर्वाचन सामग्री को सील करना, परिणामों की घोषणा और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया। मतगणना कार्य के साथ ही टेबुलेशन, ईव्हीएम एवं अन्य प्रपत्रों की सीलिंग के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई।

उन्होंने मतगणना कक्ष के आधारभूत संरचना एवं आदर्श बैठक व्यवस्था के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों की बैठक व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार उन्होंने मतगणना केन्द्र में ड्यूटी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक टेबल पर एक सुपरवाईजर, एक गणना सहायक और एक माइक्रो आब्र्जवर के अलावा एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। जिसके लिए प्रवेश पास की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होगी। इसके अलावा मतगणना कक्ष के लिए प्रभारी अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। मतगणना कक्ष में जाली के बाहर मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे, जो मतगणना कार्य की प्रत्येक गतिविधियों का अवलोकन करेंगे।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने कहा कि मतगणना कक्ष में सीसीटीवी कैमरा स्थापित किए गए है। मतगणना दिवस पर सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित समय पर मतगणना स्थल के मतगणना टेबल में उपस्थित होना अनिवार्य है। मतगणना विधानसभावार अलग-अलग कक्षों में की जाएगी। रायगढ़ एवं जशपुर जिले के सभी विधानसभाओं में ईव्हीएम गणना के लिए 14-14 टेबल की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार सारंगढ़ में 21 टेबल की व्यवस्था की गई है। डाकमत पत्रों की गणना हेतु पृथक हाल में 10 टेबल जिसमें सामान्य डाक मतपत्र एवं ईटीपीबीएस शामिल है। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि डाकमत पत्रों की गणना केआईटी रायगढ़ में प्रात: 8 बजे से की जाएगी तथा ईवीएम से मतगणना प्रात: 8.30 से होगी। सारंगढ़ एवं जशपुर में ईवीएम से मतगणना प्रात: 8 बजे से प्रारंभ होगी। प्रशिक्षण में एआरओ को मतगणना के दौरान भरे जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी भी दी गई। इस दौरान मौके पर जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल द्वारा मतगणना कक्ष में ईवीएम से गणना करने संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण देते हुए शंकाओं को दूर किया।

इस अवसर पर एडीएम संतन देवी जांगड़े, एसडीएम सारंगढ़ वासु जैन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर प्रदीप कुमार साहू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सारंगढ़ अनिकेत साहू, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर रायगढ़ प्रवीण तिवारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लैलूंगा अक्षा गुप्ता, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर खरसिया डॉ.प्रियंका वर्मा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर धरमजयगढ़ डिगेश पटेल, सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित मतगणना कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

महत्वपूर्ण एवं खास

सीएमएचओ ने मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल का किया औचक निरीक्षण

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने आज मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में नियमित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान रखने एवं अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने आईपीडी में भर्ती सभी मरीजों से उनका हालचाल जाना व अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति की जानकारी लेते हुए ओपीडी, प्रसव कक्ष, दवा वितरण कक्ष, भंडार कक्ष सहित पूरे परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही समस्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने व आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, जिन स्थानों पर ए.सी. कार्य नहीं कर रहा है उन्हें दो दिवस के भीतर सुधारने के लिये निर्देश दिये। सीएमएचओं ने गर्भवती महिलाओ का एनीमिक होना व एनीमिक पाये जाने पर उनका सही ढंग़ से फालोअप लेना जैसे-आयरन व कैल्शियम की दवा का फालोअप करना, सही ढ़ंग़ से प्रत्येक एएनसी जांच पर उनका हीमोग्लोबिन, बी.पी, यूरिन शूगर, यूरिन एल्बुमिन की जांच करने हेतु निर्देश दिये।

अलग-अलग कार्यवाई में 03 आरोपियों से 47 लीटर महुआ शराब जब्त

ग्राम मनुवापाली में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर चक्रधरनगर पुलिस ने की रेड कार्यवाही

रायगढ़। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर को ग्राम मनुवापाली में कुछ स्थानों पर अवैध रूप से महुआ शराब विक्रय की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल को अवगत कराते हुए उनके मार्गदर्शन पर थाने की स्टाफ की अलग-अलग टीमें बनाकर कल शाम मनुवापाली में तीन स्थानों पर शराब रेड कार्यवाही किया गया जिसमें आरोपी-सुरेश सूर्यवंशी, उजली सेठ और शीला सेठ को अवैध बिक्री के लिए शराब रखे पकड़ा गया है। पुलिस टीम ने आरोपी (1) सुरेश सुर्यवंशी पिता मनहरण सुर्यवंशी उम्र 40 वर्ष साकिन मनुवापाली थाना चक्रधरनगर से 15 लीटर महुआ शराब (2) उजली सेठ पति गोविंद सेठ उम्र 40 वर्ष साकिन मनुवापाली से 12 लीटर महुआ शराब तथा आरोपिया (3) शीला सेठ पति शिव सेठ उम्र 37 वर्ष साकिन मनुवापाली जामगांव स्कूल पारा थाना चक्रधरनगर से 20 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। तीनों कार्रवाई में आरोपियों से कुल 47 लीटर महुआ शराब कीमती 4,700 रूपये की जप्ती की गई है, तीनों पर अलग-अलग धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी, श्यामदेव साहू, सुमन चौहान, महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर, राजश्री वैष्णव, आरक्षक चंद्र कुमार बंजारे, विनोज लकड़ा, रंजीत भगत, शांति कुमार मिरी, मिनकेतन पटेल और महिला आरक्षक अनिता बेक शामिल थी।

कार में गांजा रख कर ग्राहक का तलाश कर रहा युवक गिरफ्तार, 6 किलो गांजा बरामद

- पुलिस ने कार और गांजा को किया जब्त

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर जिले में अवैध मादक पदार्थो की खरीदी-बिक्री पर अंकुश लगाने पुलिस मुखबीरों को सक्रिय कर लगातार कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में कल शाम जूटमिल पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर छातामुडा रोड़ मिशनरीज आफ चैरीटी के आगे सड़क किनारे कार में गांजा रखकर ग्राहक तलाश रहे आरोपी को पकड़ा गया है। जूटमिल पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि छातामुडा मेन रोड़ किनारे एक सफेद रंग ओडिशा पासिंग कार में एक व्यक्ति गांजा रखा है जो बिकी करने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है। तत्काल उपनिरीक्षक अमृत साहू के नेतृत्व में जूटमिल पुलिस द्वारा मौके पर घेराबंदी कर संदेही युवक को पकड़ा गया जो अपना नाम अतिम साहू पिता परमानंद साहू उम्र 34 वर्ष सा0 ग्राम पदरपडा

भगवत मंदिर के पास थाना मनमुंडा जिला बौध (उडिसा) बताया जिसके कार की डिक्की में 6 पैकेट खाकी रंग के टेप से लिपटा हुआ मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ जिसका वजन करने पर 6 किलो गांजा कीमती 72,000 रूपये पाया गया। आरोपी से अवैध गांजा एवं टाटा इंडिगो एस OD-15-E-4099 कीमती करीब 2,50,000 रुपए की जप्ती कर आरोपी अतिम साहू के कृत्य पर थाना जूटमिल में धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है। गांजा रेड कार्यवाही में उपनिरीक्षक अमृत साहू, आरक्षक विकास सिंह, जितेश्वर चौहान और गौतम धांगड शामिल थे।

चरित्र शंका पर डंडे से पीटकर पति ने की पत्नी की हत्या

- कापू पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर, कापू के ग्राम डगभौना की घटना

रायगढ़

दिनांक 27/05/2024 के सुबह थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डगभैना (टेलरपारा) में महिला की संदेहास्पद मौत की सूचना थाना प्रभारी कापू को मिली तत्काल थाना प्रभारी कापू अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। जहां गांव के राम कुमार कोरवा (45 साल) ने बताया कि उसका चचेरा भाई रतिया कोरवा उसकी पत्नी ललिता कोरवा के साथ डंडे से मारपीट, हत्या कर फरार है। कापू पुलिस की टीम ने गांव में आरोपी रतिया कोरवा की पतासाजी कर हिरासत में लेकर थाना लाया गया। घटना के संबंध में रिपोर्टकर्ता राम कुमार कोरवा ने बताया कि इसका चचेरा भाई रतिया कोरवा ने करीब 12 साल पहले अपने सगे छोटे भाई डेमू राम कोरवा की हत्या कर जेल गया था जिसमें सजा काट कर करीब 02 साल पहले घर वापस आया। घर आने के बाद से रतिया कोरवा उसकी पत्नि ललिता पर चरित्र शंका कर हमेशा झगड़ा लड़ाई करता था। 26 मई को गांव में रतिया कोरवा की सगे भतिजी की शादी थी, शादी में रतिया कोरवा और ललिता कोरवा दोनों नहीं गये घर पर थे। इसी दरम्यान रतिया कोरवा उसकी पत्नी ललिता पर चरित्र शंका करते हुए घर में रखे बहंगा और डंडे से ललिता को मारपीट किया जिससे उसकी मौत हो गई है। रिपोर्ट पर आरोपी रतिया कोरवा के विरूद्ध अप.क्र. 67/2024 धारा 302 आईपीसी

कायम कर आरोपी रतिया कोरवा पिता नान्ही राम कोरवा उम्र 40 वर्ष साकिन डगभौना (टेलरपारा) थाना कापू जिला रायगढ़ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर जांच कार्रवाई के लिये कापू पहुंचे डीएसपी अभिनव उपाध्याय द्वारा आरोपी को घटनास्थल लेकर क्राईम सीन रीक्रिएशन कराया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम पर हत्या में प्रयुक्त कारी लकड़ी का बहंगा एवं सराई लकड़ी का डंडा व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य की जप्ती की गई है। आरोपी को आज हत्या के अपराध में रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन व साइबर सेल प्रभारी डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर मामले के खुलासा में थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम तथा साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक धनंजय कश्यप, प्रशांत पंडा, नवीन शुक्ला, विक्रम सिंह, थाना कापू के एएसआई अशोक राठिया, प्रधान आरक्षक श्याम लाल महंत, राजेंद्र बैक, आरक्षक फिल्मोन लकड़ा, कन्हैया भगत और जुगीत सिंह राठिया की अहम भूमिका रही है।

घरेलू झगड़े में पति ने साड़ी और तकिये से पत्नी का नाक और मुंह दबाकर किया हत्या

- अपराध को छिपाने आरोपी ने महिला के मौत की गढ़ी झूठी कहानी, साइबर सेल और कापू पुलिस ने किया मामले का खुलासा
- महिला के पति को हत्या के अपराध में कापू पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर, कापू के ग्राम बेंदोपानी की घटना

रायगढ़

दिनांक 23/05/2024 को थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेंदोपानी में रहने वाली सावित्री नगेसिया (उम्र 26 साल) के फांसी लगाकर मौत की सूचना थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम को प्राप्त हुई। तत्काल थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। जहां पंचनामा कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। घटना के संबंध में थाना कापू में मर्ग क्रमांक 36/2024 धारा 174 सीआरपीसी

के तहत कायम कर थाना प्रभारी द्वारा संपूर्ण वस्तुस्थिति से पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल को अवगत कराया गया। वहीं कल थाना कापू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डगभौना में महिला की उसके पति द्वारा मारपीट कर हत्या की घटना सामने आयी जिस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उप पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय को दोनों घटनाओं की बारीकी से जांच कार्यवाही कराने के निर्देश दिया गया। डीएसपी अभिनव उपाध्याय द्वारा साइबर सेल और कापू पुलिस के साथ नए सिरे से दोनों मामले के प्रार्थी और गवाहों से विस्तृत पूछताछ किया गया। मर्ग 36/2024 की मृतिका सावित्री नगेसिया का पति बिशुन नगेसिया पुलिस को गुमराह करने अलग-अलग बातें बता रहा था। संदेही बिशनु नगेसिया और गवाहों के बयान में विरोधाभाष होने पर संदेही को हिकम्त अमली से पूछताछ किया गया जिसमें संदेही बिशनु नगेसिया ने 22 मई के सुबह पत्नी सावित्री नगेसिया से झगड़ा मारपीट कर गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया और घटना का वृतांत बताया।

आरोपी बिशुन नगेसिया पिता सहलसाय नगेसिया उम्र 28 वर्ष साकिन बेंदोपानी, थाना कापू जिला रायगढ़ ने बताया कि 21 मई को गांव के भरत पंडो की बारात में अम्बिकापुर गया था। 22 मई को वापस घर आया तो पता चला कि इसकी पत्नी सावित्री बिना बताये घर के 500 रूपये को खर्च कर दी थी। इसी बात पर सुबह बिशुन नगेसिया और सावित्री नगेसिया के बीच झगड़ा विवाद हुआ जिसमें बिशुन नगेसिया ने अपनी पत्नि सवित्री नगेसिया को झापड़ मारा और सावित्री नगेसिया की साड़ी एवं तकिया से मुंह व नाक दबाकर हत्या कर दिया। घटना के बाद अपराध से बचने आरोपी ने घर और गांववालों को उसकी पत्नी द्वारा घर के म्यार में फांसी लगाने की झूठी बात बताया और थाना कापू में भी पत्नी के फांसी लगाकर फौत होने की जानकारी देकर मर्ग इंटिमेशन दर्ज कराया था। थाना कापू में मर्ग जांच पर आरोपित बिशुन नगेसिया के विरूद्ध अप.क्र. 68/2024 धारा 302, 201 आईपीसी कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन व साइबर सेल प्रभारी डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर मामले के खुलासा में थाना प्रभारी कापू निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम तथा साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक धनंजय कश्यप, प्रशांत पंडा, नवीन शुक्ला, विक्रम सिंह, थाना कापू के एएसआई अशोक राठिया, प्रधान आरक्षक श्याम लाल महंत, राजेंद्र बैक, आरक्षक फिल्मोन लकड़ा, कन्हैया भगत और जुगीत सिंह राठिया की अहम भूमिका रही है।

लू से बचाव के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवायजरी

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने लोगों को लू से बचाव के लिए सतर्कता बरतने एवं प्रारंभिक उपचार के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घर पर भी प्रारंभिक उपचार की जा सकती है, जैसे तेज बुखार आने पर सिर में ठंडे पानी की पट्टी लगाएं, पानी व तरल पदार्थ अधिक लें, फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। लू के मरीजों के लिए उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ओरल रिहाईड्रेशन थेरेपी कार्नर की स्थापना की गई है। उन्होंने लू के लक्षण के बारे में बताया कि तेज बुखार, चक्कर आना, सिरदर्द एवं भारीपन, उल्टी आना, मुंह सूखना, शरीर में पसीना न आना, भूख कम लगना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, पेशाब कम एवं पीला आना आदि लू के प्रारंभिक लक्षण होते हैं। लू के लक्षण, बचाव व उपचार की जानकारी रहने एवं सावधानी रखने से काफी हद तक लू के चपेट से बचा जा सकता है। .लू लगने का प्रमुख कारण तेज धूप व शरीर में पानी की कमी है। सामान्यत: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप तेज होती है इस दौरान संभव हो सके तो धूप में जाने से बचे। धूप में जाना आवश्यक हो तो सिर और कानों को कॉटन (सूती) के कपड़े से अच्छी तरह ढंक लें और पानी अधिक मात्रा में पियें। खाने में फल, जूस, दही एवं अन्य तरल पदार्थो को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करें। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां खांए जैसे-तरबूज, खरबूजा, संतरा, अंगूर, अनानास, ककड़ी, खीरा, सलाद या अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध फल और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें।

कृषि विभाग ने 3 अमानक कीटनाशक के विक्रय पर लगाया प्रतिबंध

रायगढ़

आगामी जून माह में मानसून आने पर किसानों के द्वारा खेती कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जिसमें किसान खेती की तैयारी कर फसल की बुआई कर उर्वरक कीटनाशी का उपयोग करना प्रारंभ कर देंगे। कृषि विभाग के द्वारा किसानों को गुणवत्ता युक्त कीटनाशी उपलब्ध हो पाए इसलिए कीटनाशियों के नमुना लेकर प्रयोगशाला प्रतिवर्ष भेजा जाता है और अमानक परिणाम आने पर विक्रय पर प्रतिबंध कर दिया जाता है। उप संचालक कृषि रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वर्ष 2023-24 में कीटनाशी नमूना लेकर भेजा गया था जिसमें से 3 कीटनाशी के परिणाम अमानक प्राप्त हुए है। जिनमें निर्माता कंपनी श्रीजी पेस्टीसाईड प्रायवेट लिमिटेड ब्लॉक नंबर 69/पी, सावली वडोदरा-391770 (ग्राम-मंजूसर)द्वारा निर्मित कीटनाशक लैम्बडा साइहेलोथ्रिन (Lambda cyhalothrin)4.9 %सीएस का नमूना जिता कृषि सेवा केन्द्र धरमजयगढ़ से लिया गया था, जिसका बैच नंबर एसपी 22एलएसबीओ 03 है इसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार निर्माता कंपनी शिवालिक क्रॉप साईसेस प्रा.लिमिटेड द्वारा निर्मित कीटनाशक प्रोपीकोनाजोल (Propiconazol)10.7 % + ट्राइसाइक्लाजोल (Tricyclazol)34.2 % एसई का जिसका नमूना महिन्द्रा एग्रीटेक मालीडिपा, रायगढ़ से लिया गया था, जिसका बैच नंबर व्ही 123 है। निर्माता कंपनी मोती इनसेक्टीसाईड्स प्रा.लिमिटेड करनाल द्वारा निर्मित प्रोफेनोफोस (Profenophos) 40%+साइपरमेथ्रिन (Cypermethr) 4% ईसी का नमूना सागर कृषि सेवा केन्द्र, राजपुर, लैलूंगा से लिया गया था, जिसका बैच नंबर एसएफ 2308010 है। कृषि विभाग द्वारा उक्त तीनों कीटनाशी के विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने जिले के किसानों को उक्त कीटनाशी के किसी दुकान पर प्राप्त होने पर उसे न खरीदने एवं इसकी सूचना कृषि विभाग से साझा करने हेतु आग्रह किया है।

रायगढ़ के केआईटी में होगी पूरे संसदीय क्षेत्र के आठों विधानसभाओं के डाक मतपत्रों की गणना

- डाक मतपत्रों की गणना के लिए पृथक से बनाया गया है गणन कक्ष
- डाक मतपत्र की गिनती करने अधिकारी-कर्मचारियों की अलग से लगी ड्यूटी, दी गई ट्रेनिंग

रायगढ़

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु घोषित कार्यक्रम अनुसार आगामी 4 जून मंगलवार को मतगणना संबंधी कार्यवाही संपादित की जाएगी। इस क्रम में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 02-रायगढ़ अन्तर्गत डाक मतपत्रों के गणना हेतु पृथक से विशेष व्यवस्थाएँ की गई है। डाक मतपत्रों के गणना हेतु केआईटी गढ़उमरिया में पृथक से मतगणना हॉल तैयार किया गया है, जहां नियत टेबलों पर डाक मतपत्रों की गणना की जावेगी। प्रत्येक टेबल पर गणना संबंधी कार्य हेतु 01 अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, 01 सुपरवाईजर, 02 गणना सहायक, 01 माईको आब्जर्वर की नियुक्ति की गई है।

लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 02 रायगढ़ अंतर्गत रायगढ़ जिले के 04 विधानसभा क्षेत्र, जशपुर जिले के 03 विधानसभा क्षेत्र तथा जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ का 01 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित है अर्थात संसदीय सीट रायगढ़ अंतर्गत आने वाले 08 विधानसभा क्षेत्रों के डाक मतपत्रों की गिनती केआईटी गढ़उमरिया स्थित मतगणना हॉल में की जाएगी। उल्लेखनीय है कि आज दिनांक तक रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 3647 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें जशपुर जिले से 471, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से 1136 व रायगढ़ जिले से 924 डाक मतपत्र तथा ईटीपीबीएस से 1116 मतपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें पूरे लोकसभा क्षेत्र में सुविधा केन्द्रों से प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या 2148, होम वोटिंग से प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या 283 तथा अनिवार्य सेवा के मतदाताओं द्वारा पोस्टल वोटिंग सेंटरों में डाले गये मतों की संख्या 100 है। इसके अतिरिक्त सेवा मतदाताओं को जारी किये गये ईटीपीबीस से डाक के माध्यम से प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या 1116 है अर्थात अब तक कुल 3647 डाक मतपत्र प्राप्त हुए हैं। ईटीपीबीएस प्रणाली से जारी डाक मतपत्रों की प्राप्ति मतगणना दिवस 4 जून 2024 को प्रात: 8 बजे के पूर्व तक की जाएगी। इसी क्रम में मतगणना संबंधी प्रशिक्षण सत्र का आयोजन आज जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने मतगणना स्टॉफ को नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ मतगणना कार्य को सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480